प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 11.02.2026

थाना महुली पुलिस द्वारा दहेज प्रताड़ना से मृत्यु मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभय नाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 59/2026 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त का नाम पता रत्नेश राय पुत्र श्री शिव प्रसाद राय निवासी सांखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को काली जगदीशपुर बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 10.02.2026 थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त द्वारा मेरी पुत्री को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित करने के साथ ही मारपीट रहा था, जिसके कारण से दिनाँक 10.02.2026 को मेरी पुत्री फांसी के फंन्दे पर लटकी संदिग्ध अवस्था मे मृत्यु पायी गयी थी। जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध को गंभीरता से लेते हुए आज दिनाँक 11.02.2026 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 विकास साहनी।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा साइकिल सवार के ट्राली में टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत शेखर प्रट्रोल पम्प बड़गो से कालर द्वारा साइकिल सवार के ट्राली में टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01.रामनाथ पुत्र झगरू निवासी औरही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 श्री बलराम यादव, म0हे0का0 पुष्पा शर्मा, म0का0 किरन यादव, हो0चा0 रविन्द्र यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनों से 99,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनों से 99,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

नवजात शिशु अपहरण के मामले में थाना बेलहरकला पुलिस की बड़ी सफलता, 8वां अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.02.2026 को थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2026 धारा 140(1), 143(4), 3(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त जोगी उर्फ योगेन्द्र बारी पुत्र रमेश बारी निवासी छितौना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को नरायनपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 09.02.2026 को थाना बेलहरकला पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादिनी की गोद में मौजूद उसका लगभग 01 माह का नवजात शिशु छीनकर जंगल की ओर भाग गए। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री रविन्द्रनाथ शर्मा, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, का0 रामभूषण पटेल, का0 ओमप्रकाश चौरसिया।

थाना महुली पुलिस द्वारा दहेज प्रताड़ना से मृत्यु मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभय नाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 59/2026 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त का नाम पता रत्नेश राय पुत्र श्री शिव प्रसाद राय निवासी सांखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को काली जगदीशपुर बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 10.02.2026 थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त द्वारा मेरी पुत्री को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित करने के साथ ही मारपीट रहा था, जिसके कारण से दिनाँक 10.02.2026 को मेरी पुत्री फांसी के फंन्दे पर लटकी संदिग्ध अवस्था मे मृत्यु पायी गयी थी। जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध को गंभीरता से लेते हुए आज दिनाँक 11.02.2026 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 विकास साहनी।